

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(03)राज/वाद/18, पार्ट

जयपुर, दिनांक 9/7/2025

—:आदेश:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बेंच के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में केवियट तैयार कर दायर किये जाने हेतु विधि अधिकारियों (महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउंसिलर्स) को एकमुश्त फीस 1400/-रूपये का भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त(व्यय-5)विभाग की आई.डी.संख्या-332501061 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की गई है।

(सुरेश चन्द बंसल)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
6. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी.....।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण/सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द बंसल)  
शासन सचिव, विधि

Document certified by SURESH CHAND  
BANSAL <SCPRIYABANSAL@GMAIL.COM>

Digitally Signed by SURESH  
CHAND BANSAL  
Designation: Secretary  
Date :09-07-2025 10:57:06